(i) Notification No. 48/77-Cus., dated the 9th April, 1977, under sub-section (2) of section 8 read with sub-section(3) of section 7 of the Customs Tariff Act, 1975.

(ii) Notification No. 49/77-Cus., dated the 9th April, 1977, under section 159 of the Customs Act, 1962.

(iii) Notification Nos. 53|77—CE to 56/77-CE, dated the 9th April, 1977, under section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944.

(iv) Notification No. 1|77-DBK., dated the 9th April, 1977, under section 159 of the Customs Act, 1962 and section 38 of the Central Excise and Salt Act, 1944. [Placed in Library, *See* No. LT-250|77 for (i) to (iv)].

REFERENCE STATEMENT TO BE MADE BY THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION ON THE DAKOTA CRASH

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): Sir, I would like to know as to what happend about the statement to be made by the Minister of Tourism and Civil Aviation on the Dakota crash ? It was stated that he would make a statement as soon as he collects the information. I suppose that five days are enough for collecting the information. There is no mention about it.

SHRI RANBIR SINGH (Haryana): Today is the last day of this Session.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : निश्चित तारीख तो बताई नहीं गई थी। क्योंकि जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है इसलिये मैं नहीं दे सकता।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Delay in the announcement of procurement price of wheat

DR. Z. A. AHMAD (Uttar Pradesh): Sir I beg to call the attention of the Minister of Agriculture and Irrigation to the wide-spread anxity among the farmers due to the delay in the announcement by the Government regarding the procurement price of wheat and other rabi crops.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PARKASH SINGH BADAL): Sir, the price and procurement policy for Rabi grains is usually announced during the later half of March before the commencement of the rabi markating season. As Hon'ble Members are aware, it was not possible this year to do so on account of the General Elections and the formation of the new Government only at the end of March. Government have taken all possible steps to expedite a decision regarding the rabi policy. Discussions have already been held on 2nd and 3rd April, 1977 with the Chief Ministers/Food Ministers of the States on the recommendations of the Agricultural Prices Commission regarding the price and procurement policy for rabi cereals for marketing season 1977-78. A meeting of the concerned Committee of union Cabinet is being held this evening to decide this matter and the policy will be announced as soon as a decision is taken.

Meanwhile, in view of the commitment of the Government to ensure that the farmers do not suffer due to fall in prices, instructions were issued as early as on 14th March, 1977 to all State Government/Union Territory Administrations as well as the Food Corporation of India to make proper arrangements for providing price support to the producers for wheat and that till the decision of Government on the price and procurment policy

for 1977-78 marketing season was announced, support should be provided for wheat at the last Year's price of Rs. 105 per quintal.

डा० जैड० ए० अहमद : श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि उससे सारे हाउस के मेम्बरों में, चाहे वे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, असंतोष है । यह इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे देश के लाखों करोड़ों आदमी इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस बारे में जल्दी एलान करे । लेकिन यह गवर्नमेन्ट एलान नहीं कर रही है । मंडी मे गेहूं पहुंच गया है और बिकने लगा है । व्यापारी लोग किसानों को लूट रहे हैं । लेकिन बादल साहब जो यह एलान करके और वायदा करके आए थे कि 150 रु० फी क्वींटल दाम दिलवाएंगे, अभी तक किसानों को नहीं दे पाए हैं । ये लोग डामाडोल हालत में हैं और कुछ नहीं कर पा रहें हैं। अब देखिए, इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन क्या दे रखी है ? इंस्ट्रक्शन यह दे रखी है कि 105 रु० फी क्वींटल से गेहूं खरीदने का इन्तजाम किया जाये । डिप्टी चेयरमैन साहब, यह एक बहुत पुराना सवाल है और आज जनता की मिनिस्ट्री यहां पर जनता का मैनडेट लेकर आई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सवाल को सही तौर पर हल करने की कोशिश की जाय और किसानों को उचित दाम दिया जाये । किसानों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है उसको जल्दी से जल्दी रोका जाये । मुझे याद है, एक जमाना था, हमारे जो दोस्त आज जनता पार्टी मे हैं, पाटिल साहब और मोरारजी साहब, उन्होंने पी० एल० 480 के मातहत अमेरिका से अनाज मंगाया था। ये लोग जो आत्म-निर्भरता की बात करते हैं, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपयों का अनाज पी० एल० 480 के मातहत मंगाया था। मैं मानता हूं कि कांग्रेस सरकार ने बहुत सी गल्तियां की, लेकिन उन्होंने तो मुल्क को अनाज के मामले में आत्म निर्भर बनाने की कोशिश की है । आज हमारे पास इतना गल्ला है कि हमको भूखों नहीं मरना पड़ेगा लेकिन आज सवाल इस बात का पैदा होता है कि हमें अभी भी काफी गल्ला पैदा करना पड़ेगा और किसानों को सुविधाएं देने के लिए उनको अनाज का उचित दाम भी देना पड़ेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि बादल साहब जनता से जो वायदा करके आये हैं उसको पूरा क्यों नही कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी चूं-चूं का मुरब्बा है ..(*(Interruptions)*) आप जानते हैं कि चू-चूं का मुरब्बा क्या होता है । यहां वह लोग बैठे हैं जो 150 रुपये, से 200 रुपए का वायदा करके आये हैं ।

شری محمد یونس سلیم : چوں چوں کا مربہ آپ نے کہا چودھری صاحب سمجھتے ہیں -

†[**श्री मुहम्मद यूनुस सलीम :** चूं-चूं का मुरब्बा आपने कहा चौधरी साहब समझते हैं ।]

डा० जैड० ए० अहमद : इसलिए कि हमारे यू० पी० के है, दूसरे लोग नहीं समझ पाए ।

ऐसे लोग वहां बैठे हैं, जो बिलकुल फ्री ट्रेड की बात करते है । जोन खत्म कर डालो । गल्ला जाने दो इधर से उधर और किसी किस्म का पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम न बनाओ, न कोई प्रोक्योरमेन्ट प्राइस और न कोई सपोर्ट प्राइस । यह हकीकत है । यदि इनमें कुछ लोग किसानों के लिए कुछ करना भी चाहते हैं तो दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं । यहां हमारे बहुत से लोग जैसे श्री दण्डवते जी शहरों से आते हैं, इनकी समझ में नहीं आता कि किसानों को क्यों ज्यादा दिया जाये ।

†[ ] Devanagari translation.

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं भी गांव की कान्स्टीटुएन्सी से आया हूं।

डा० जैड० ए० अहमद : लेकिन दिमाग शहरी है। कांस्टीटुएन्सी में आप तो कुछ इधर उधर की बातें कह कर चले आए। परन्तु दिमाग तो शहरी है। इसलिए समझ में नहीं आता।

एक माननीय सदस्य : समाजवाद।

डा० जैड० ए० अहमद : समाजवाद में टाइम लगेगा। इसके बाद आज सबसे बड़ा सवाल यह है, जनाबेवाला कि चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, खाद के दाम बढ़ गए। चौधरी साहब जानते हैं . . .

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : सीमेंट।

डा० जेड० ए० अहमद : सीमेंट तो दूर की चीज है। यू० पी० में सीमेंट के घर की बात क्या, मिट्टी के घर भी नहीं मिलते। सीमेंट के मकान तो खाते पीते लोग बनाते हैं। सीमेन्ट के दाम बढ़ गए, कपड़े के दाम बढ़ गए, इसके अलावा . . .

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : तेल के बढ़ गए।

डा० जैड० ए० अहमद : तेल के भी बढ़ गए। कास्ट आफ प्रोडक्शन सही नहीं है। पिछले 1971 के बाद से लेकर आज तक कम से कम 50 प्रतिशत कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गई। उसके अन्दर . . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): ट्रेक्टरों के तो 100 प्रतिशत तक बढ़ गए है।

डा० जैड० ए० अहमद : ट्रेक्टरों के बढ़ गए, फर्टिलाइजर के बढ़ गए। मालगुजारी के बढ़े। यू० पी० में 3 रुपया फी यूनिट था, अब वह 15 रु० फी यूनिट हो गया। 15 रु० होने से वह 5 गुना बढ़ गया था, लेकिन फिर मांफी के कारण 3 गुना बढ़ा है। आप बता दें कि तीन गुना बढ़ा है या नहीं।

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : यह तिवारी जी से पूछ कर बताऊंगा।

डा० जैड० ए० अहमद : तिवारी जी ने बढ़ाया या किसी और ने, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। परन्तु उस वक्त यह सब साथ थे, मिल कर बढ़ाया था। अब अलग बैठ गए एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। मैं सिर्फ इसे एक हकीकत ठहराता हूं। मैं सिर्फ ऐसी हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे चीजों के दाम बढ़े। गांव का किसान बैठा रहा और शहर के जो व्यापारी थे उन को सारा उत्पादन दे दिया गया। मुझे अंदेशा है कि जो जनता पार्टी का ढांचा है, जो इसका कांपोजीशन है जिन लोगों का इस पर प्रभाव है वे इस को इस ओर आहिस्ता-आहिस्ता ले जायेंगे कि फ्री ट्रेड हो जाये, गल्ला यहां से वहां ले जाने पर कोई रोक न हो, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को आहिस्ता-आहिस्ता खत्म कर दिया जाय और किसानों को लुटता हुआ छोड़ दिया जाय। मुझे यह अंदेशा है। कैपिटलिस्ट मार्केट है जिसमें सारा अन्न मार्केट का व्यापारी खरीदेगा और जिस दाम में चाहेगा खरीदेगा और जिस दाम में चाहेगा, बेचेगा।

आज इस गवर्नमेंट के पास 15 मिलियन टन ग्रेन है। शायद मैं गलत बात नहीं कहता हूं। 18 मिलियन टन ग्रेन है। क्या और जरूरत है खरीदने की ? उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मशीनरी में से अभी तक कमी होती चली जा रही है।

लेकिन याद रखिये कि यह 18 मिलियन ग्रेन गायब हो सकता है थोड़े दिनों के अन्दर; क्योंकि हिन्दुस्तान की खेती आज मजबूत खेती नहीं है, हिन्दुस्तान की खेती वर्षा के ऊपर निर्भर है। एक मर्तबा वर्षा फेल हो जाये आप बिल्कुल उजड़ जायेंगे और खिलाने के लिये नहीं रहेगा। इसलिये आप की नयी सरकार को स्टाक को बढ़ाना चाहिये और इतना बढ़ाना चाहिये कि कोई खतरा हमारे सामने न रहे और झोली लेकर, जैसे पाटिल साहब अमरीका के सामने ले गये थे फकीर की तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय भिखारी के तौर पर हम न भटकें।

अब सवाल यह आता है कि कितनी प्राइस होनी चाहिये। मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि कम से कम 125 रु० फी क्विंटल प्राइस किसान को आप सिक्योर कर दीजिये। इश्यू प्राइस कितनी होगी। इश्यू प्राइस मैं समझता हूं वही रखी जा सकती है। बीज का खर्चा जो है, आप को मालूम है, 27–28 रु० हैंडलिंग चार्जेज है, हैंडलिंग चार्जेज पर क्विंटल 27–28 रु० जो है, यह स्कैंडेल है। जो व्यापारी 10 रु० में मैनेज करता है वह सरकारी अफसर 27–28 रु० हैंडलिंग चार्जेज़ करते हैं। इस के ऊपर थोड़ा कट कीजिये।

और यह सुझाव भी मैं रखना चाहता हूं—बादल साहब आप इस को गौर से सुनें और चौधरी साहब आप भी सुनें—जो यह बोनस दिया जाता है आप ने भी लिया होगा। प्रोक्योरमेन्ट का जो कोटा है उस को फुलफिल करने के लिये बोनस दिया जाता है। यू० पी० को शायद पिछले साल 50 करोड़ रु० बोनस दिया गया। वह बोनस सूबा सरकार को क्यों देते हैं? सीधे तौर पर किसान को दीजिये। सूबाई सरकार को जो बोनस मिलता है वह गायब हो जाता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फंड के अंदर चला जाता है। वही चीज जो सूबाई सरकार को देते हैं अपना कोटा फुलफिल करने के लिये—दबाव डालिये सूबा सरकार पर—दूसरे तरीके से, लालच से नहीं, उस को करिये कि कहीं वह अपना कोटा पूरा करो और वह जो बोनस के रूप मे आप सूबा सरकार को देते हैं वह बचाइये। आप किसान को उसमें राहत पहुंचायें।

(*Time bill rings*)

तीसरी चीज, मेरा एक ठोस सुझाव है, और मैं चाहता हूं कि इस पर आप ढंग से जवाब दें कि क्या बोनस सिस्टम को खत्म करके किसान को लाभ देंगे या सूबा सरकार की जेब भरेंगे। मैंने सुना है कि फर्टिलाइजर प्राइस इक्वलाइजेशन फण्ड का जो फर्टिलाइजर देंगे उसके अन्दर भी ध्यान दीजिए; उसमें भी रिलीफ देने की गुंजाइश है और फर्टिलाइजर को सस्ता करने की गुंजाइश है। और सब से बड़ी बात है कि किसान की पैदावार के जो साधन हैं उनको सस्ता कीजिये। अगर आप साधनों को सस्ता नहीं करते, अगर आप उस के ऊपर आबपाशी की दर कम नहीं करते या उसके ऊपर दूसरे टैक्सेज़ को कम नहीं करते और 125 रु० प्रोक्योरमेंट प्राइस देकर बाकी और चीजों पर बढ़ाते जाते हैं तो यह भी न्युट्रलाइज़ हो जाएगा। इसलिए खाद के दाम और जो पैदावार के साधन हैं उनकी एक इंटिग्रेटेड पालिसी होनी चाहिए कि किसान को इतनी रिलीफ कीमतों पर दी गई, इतनी रिलीफ कास्ट आफ प्रोडक्शन को रेडयूस करने के लिए दी गई। अगर आप यह करते हैं तो वाह-वाह, अगर नहीं करते है तो जनाब, वोट जो मिले हैं वह भागते हैं बहुत जल्द। आप जेब में नहीं रख सकते (*Interruption*) हमारी जेब में भी बंधे नहीं हैं, हमारे वोट भी भाग गए। हमारी ग़लतियां थीं।

[डा० जैड० ए० अहमद]

अगर आप किसान को सन्तुष्ट नहीं करते तो थोड़े दिनों के बाद यही वोट भागेगा। पता नहीं किसकी जेब में चला जाएगा।

श्री प्रकाश सिंह बादल : सर, आनरेबल मेम्बर साहब ने दो-तीन सवाल उठाए हैं। पहली चिन्ता तो उन्होंने प्रगट की है कि उस प्रोक्योरमेंट प्राइस को अनाउन्स करने में बड़ी देरी हो गई है। उसका जो कारण है उसको मैं पहले बता चुका हूं। मैं समझता हूं, मेम्बर साहब भी ज़रूर महसूस करेंगे कि नयी सरकार बने अभी थोड़ा टाइम हुआ है।

डा० जैड० ए० अहमद : गल्ला तो आ गया मण्डी में नयी सरकार का।

श्री प्रकाश सिंह बादल : आनरेबल मेम्बर साहब पुराने मेम्बर हैं और उनको यह भी पता है कि यह प्राइस फिक्स करने के लिए कोई प्रोसीजर होता है। सब से पहले चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस बुलायी जाती है और इस सरकार को इतनी चिन्ता थी इस काम के लिए कि चीफ मिनिस्टर्स को पर्सनली कांटेक्ट किया और सैटर्डे 2 ता० और फिर 3 ता० को उनके साथ मीटिंग हुई। उनके व्यूज़ लेने के बाद—आनरेबल मेम्बर साहब जानते हैं—आगे भी प्रोसीजर है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बाद फाइनेंस, प्लानिंग डिपार्टमेंट से भी राय मांगनी पड़ती है। मैं उनको यह यकीन दिलाता हूं कि दिन-रात एक करके यह केस कम्पलीट हुआ है और उनको जान कर खुशी होगी कि आज शाम को ही कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और उसके फैसले के बाद यह प्रोक्योरमेंट प्राइस एनाउन्स कर दी जायेगी।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : पौइन्ट आफ आर्डर। क्या मंत्री महोदय ने जान बूझ कर आज की शाम कैबिनेट सब-कमेटी की मीटिंग तय की है? . . .

श्री उपसभापति : यह कोई पौइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : . . . ताकि हाउस उठ जाये। यह पोइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपसभापति : कार्यवाही अच्छी तरह से चल रही है, उसमें बाधा मत डालिये।

श्री प्रकाश सिंह बादल : दूसरा पौइन्ट जो इन्होंने रखा है वह गेहूं की कीमत का है। सर, आप जानते है कि मैं आज इस पोजीशन में नहीं हूं कि सरकार की जो फूड पालिसी है उसकी बाबत कह सकूं। यह थोड़े समय के बाद इनके सामने आ जायेंगी। मैं यह यकीन दिलाता हूं कि गवर्नमेंट बड़ी तेजी से इस प्राबलम को समझ कर इसका फैसला कर रही है।

इन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जो बीच का खर्चा है वह बहुत काफी है और ग्रोअर और कन्ज्यूमर के दरमियान जो खर्चा होता है वह कम करना चाहिये। यह खर्चा पिछली सरकार कम नहीं कर सकी। अब हम कन्सीडर कर रहे हैं कि किस तरह यह खर्चा कम हो ताकि ग्रोअर और कन्ज्यूमर के दरमियान का खर्चा कम हो जाये।

डा० जैड० ए० अहमद : बोनस।

श्री प्रकाश सिंह बादल : बोनस भी फूड पालिसी में है। मैं आज इस पोजीशन में नहीं हूं कि इनको सारी डिटेल दे सकूं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : मैं खाद्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब कोई मंत्री सदन में वक्तव्य

देता है तो यह उसकी निजी जिम्मेदारी नहीं होती, वह मंत्रि-परिषद् की पूरी जिम्मेदारी होती है। बादल साहब को याद होगा कि उन्होंने स्वयं इस सदन में कहा था कि गेहूं के वसूली मूल्य की घोषणा इसी अधिवेशन में हो जायगी। जब उन्होंने यह कहा था तो शायद पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा था लेकिन अब यह कह रहे हैं कि आज शाम को सब-कमेटी की बैठक होगी। मेरी राय यह है कि मंत्रि-परिषद् के—गौरव और गरिमा को बनाए रखने के लिए अच्छा यह हो कि सब-कमेटी की बैठक अधिवेशन की समाप्ति से पहले हो जाये और अधिवेशन के अन्दर उसकी घोषणा कर दें। एक तो मुझे यह कहना है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी जो आपने मुख्य मंत्री सम्मेलन बुलाया था, तो विशेष रूप से गेहूं-उत्पादक राज्यों के जो मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री थे उन्होंने अपनी क्या राय दी है और गेहूं का वसूली मूल्य रखने के लिए, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उन्होंने गेहूं का कितना कम से कम वसूली-मूल्य रखने के लिए कहा है? दूसरी बात तो मैं यह जानना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन या प्लानिंग कमीशन जिसका आपने हवाला दिया ये जब वसूली-मूल्य निर्धारित करते हैं तो वे आधार किस राज्य को मानते हैं? किसान जो गेहूं उत्पादन करता है उसमें उसको कितनी लागत आती है उस को तय करने के लिए किस राज्य को आधार मानते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब जिसके आधार पर गेहूं का वसूली मूल्य तय किया जाता है।

तीसरी बात आपने यह कही कि ये जो खाद्य निगम के अधिकारी हैं उनके ऊपर बहुत रुपया व्यय होता है। क्या यह सही है कि किसान से जो गेहूं वसूल किया जाता है और वह उपभोक्ता के पास जाता है तो बीच में 31 रुपया प्रति क्विंटल अधिक व्यय हो जाता है? यह 31 रुपया किसान को तो नहीं मिल पाता, लेकिन उपभोक्ता की जेब से चला जाता है। तो यह 31 रुपये की बात कहां तक सही है?

पिछली बार 105 रुपए का वसूली-मूल्य घोषित किया गया। उस समय 80-85 रुपए में व्यापारियों ने किसानों से गेहूं खरीद लिया इनफीरियर क्वालिटी कह कर और उसी को बाद में खाद्यान्न निगम के अधिकारियों के हाथ बेचा 105 रुपए में। बीच में जो मुनाफा हुआ वह व्यापारियों की जेब में गया और निगम के अधिकारियों की जेब में गया। किसानों की यह लूट आगे न हो सके इसके लिए आपने क्या सोचा है?

आखिरी बात जिसको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं वह यह है कि आपके खाद्य निगम के भंडारों में जितना गेहूं आपके पास है उस पर सरकार का कुल कितना पैसा लगा हुआ है और आगे जो गेहूं आप खरीदना चाहते हैं उस पर कितना रुपया लगाने का विचार है? और अन्तिम बात जिसको कह कर मैं बैठता हूं वह यह है कि आपने सदन के बाहर कहीं पर, शायद पंजाब में एक वक्तव्य दिया है कि अगले वर्ष तक भारत इस स्थिति में आ जाएगा कि हमको बाहर से खाद्यान्न का एक दाना मगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात की घोषणा क्या आप इस सदन में भी कर सकेंगे क्या?

श्री प्रकाश सिंह बादल : जैसा आनरेबिल मेम्बर ने पूछा है कि चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग में उन्होंने किस कीमत के लिये कहा है तो उन्होंने 120 रुपये से ले कर 130 रुपये तक गेहूं का दाम तय करने के लिये कहा है। दूसरी बात जो कैबिनेट सब-कमेटी मिल रही

[श्री प्रकाश सिंह बादल]

है वह कुछ पहले मिले और उस का फैसला यहां एनाउन्स कर दिया जाय सदन में, यह मुश्किल है क्योंकि हो सकता है कि कैबिनेट सब-कमेटी के बाद वह मामला कैबिनेट में जाय और उस की मीटिंग बुलानी पड़े। तीसरी बात कि 31 रुपये क्विन्टल खर्च होता है बीच में, तो उस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत सा खर्च तो ऐसा है कि जो स्टैचुटरी है। जिस स्टेट से गल्ला आता है, 72 परसेंट खर्च स्टेट लेता है और फूड कारपोरेशन उस खर्च को कम नहीं कर सकता। उस के अलावा जब फूड कारपोरेशन को गंदम देता है तो वह कुछ चार्ज करते हैं। वहभी हमारे बस का नहीं है। वह स्टेट्स के बस की बात है। दरम्यान में जो खर्च होता है उस को हम स्टेडी कर रहे हैं और अगर कोई तरीका निकल सकेगा कि जिससे हम वह खर्च कम कर सकें तो वह जरूर कम किया जायगा।

श्री सुन्दर सिंह भन्डारी (उत्तर प्रदेश): मैं कृषि मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हू कि जो कैबिनेट सब-कमेटी आज गेहूं की कीमत के बारे में विचार करने वाली है वह कीमत प्राक्योरमेंट प्राइस है या सपोर्ट प्राइस है और क्या यह सरकार एक ही कीमत तय करने का इरादा रखती है या दो अलग-अलग कीमतें दोनों के लिये तय करेंगी? दूसरा मेरा सवाल है कि क्या इस सरकार की यह घोषित नीति नहीं है कि जबरिया गल्ला नहीं लिया जायगा। तो मैं आग्रह करूंगा कि उस संदर्भ में प्राक्योरमेंट प्राइस की क्या आवश्यकता है? और तीसरे यह कि सरकार कीमतें तय करते समय इन पुट्स का बोझ किसान पर कम पड़े इस बात को मद्दे नजर रख कर ही कीमत तय करेगी या दोनों विषय पृथक माने जायेंगे?

श्री प्रकाश सिंह बादल: जहा तक पहला सवाल है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस और सपोर्ट प्राइस क्या रहे, गवर्नमेंट इस बात का फैसला करेगी इस मीटिंग में। इन सब बातों का फैसला इस मीटिंग में किया जायगा। जहा तक जबरन गल्ला लेने की बात आनरेबिल मेम्बर ने फरमायी है, उन को जान कर खुशी होगी कि चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में सभी चीफ मिनिस्टर्स को हम ने यह राय दी थी कि जबरिया गल्ला न लिया जाय।

(*Interruptions*)

डा० जैड० ए० अहमद: अब जबरिया का सवाल ही नहीं है।

श्री प्रकाश सिंह बादल: जैसे लेवी का सिस्टम होता है (*Interruption*) और सभी चीफ मिनिस्टर्स से हमने कहा था कि हम जबरिया गल्ला नहीं लेंगे।

डा० जैड० ए० अहमद: यह सवाल ही पैदा नही होता।

श्री प्रकाश सिंह बादल: उन्होंने सवाल किया है इसलिये जबाव दे रहा हूं।

श्री देवराव पाटिल (महाराष्ट्र): आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री प्रकाश सिंह बादल: तीसरा सवाल जो उन्होने किया है कि कीमत मुकर्रर करते समय इनपुट्स के भाव का ख़याल रखा जायगा तो मैं कहना चाहता हूं कि उस समय सब बातों का ख़याल रखा जायगा। फार्मर का ख़याल रखा जायगा, कन्ज्यूमर का ख़याल रखा जायगा और दूसरी चीजों का ख़याल रखा जायगा और उस के बाद कोई कीमत तय की जायगी।

SHRI RISHI KUMAR (Rajasthan): Mr. Deputy Chairman, the Government have not so far indicated their views on one of the very important aspects of the procurement and food policy and I hope that when the Cabi-

net sub-committee meets and announces its policy. it will make it clear that not only a remunerative price for the farmers will be announced, but adequate steps will be taken and a machinery created to see that the farmers really get that price. It has been our experience during the last few years that there is a big gap between the procurement price that is announced and the actual prices which is received by the farmers. We have seen, especially last year, that the farmers were made to sell their grains at a price much less than the price announced because of the inadequacy of the procurement machinery. I would like to know whether the Government would also consider putting a ban on purchase of foodgrains by the Food Corporation and other procurement agencies from traders. Usually the traders buy the grains from the framers at a lower price and then they send them to the Food Corporation of India and other procurement agencies at the price fixed by the Government. For this reason, would the Government put a blanket ban so that the procurement agencies buy grains only from the farmers and not from the traders or mills. Thirdly, I was surprised to hear the hon. Minister saying that it is very difficult to reduce the handling cost. I would request the Government to consider the question whether the finances provided for procurement of foodgrains cannot be made interest-free. A substantial part of the handling charges goes towards interest charges. How is it that in this important national activity we cannot take a policy decision that investments made or funds made available to the procurement agencies would be interest-free. If you make these funds interest-free, then you will find that there is substantial reduction in the total cost which goes into the increase in the issue price. I would also like to know whether the Government would announce a minimum target procurement. Unless you announce a minimum, apart from the depletion of the buffer-stock, there is the danger that enough purchases would not be made and farmers would suffer. I would also like the Government to tell us what it is going to do in regard to the food zones and inter-State movement of foodgrains and how it will reconcile the interest of the consumers as well as the interest of the producers. The consumers are not only the people living in urban areas, but also include poor farmers and agricultural labour who do not produce enough to meet their requirements of foodgrains for the whole year. Therefore, are you going to allow the market forces to operate. It has been our experience during the last few years that if you allow free market forces to operate in such an important area as this, when the produce comes to the market, they depress the price and when there is a lean season the prices are pushed up. Unless, therefore, there is some regulatory mechanism to ensure that the farmers get a remunerative price, the middlemen are eliminated, the issue price is not increased and there is an adequate public distribution infra-structure, I am afraid, immediately after the policy is announced, it will lead to disaster both for the farmers and the consumers in the long run. Therefore, the notional food policy at this particular juncture should not mean only announcement of the procurement price, but you should come forward with a comprehensive scheme covering price, procurement, distribution and reduction of cost. I entirely agree that steps have to be taken to eliminate wastes and to see that something is done in the matter of irrigation and electricity rates. These rates have not only been increased, but inhuman methods have been taken recourse to in realising electricity dues from the farmers. Farmers who have been paying Rs. 5 or Rs. 10—for the last three or four years have received requisition notices to deposit Rs. 2,000 or Rs. 3,000 or Rs. 4,000.

And, Sir, their property has been attached and, in several areas, even their utensils kept for their day-to-day use have been attached. Therefore, all these malpractices which have led to

[Shri Rishi Kumar]

an increase in the burden on the farmers have to be eliminated. So, I would request the honourable Minister to take this House into confidence about the approach that they are going to have. I know that he cannot announce the total policy now. But, Sir, he can indicate the approach of the Government, the thinking of the Government on the basis of the discussions held so far in regard the prices, about the commitment to procure at least five million tonnes of foodgrains this year and also in regard to the reduction of the cost and the issue prices.

SHRI PARKASH SINGH BADAL: Sir, some of these questions are again with regard to the food policy on which I cannot say anything now. One thing that the honourable member has brought to my notice is about the procurement price and what the farmers get. I will certainly issue instructions that such malpractices, if any, should be checked and the States have been asked to ensure that all grains of fair and average quality are bought direct from the farmers and not from the traders or any other persons.

श्री उपसभापति : स्टेटमेंट, श्री अडवाणी।

चौधरी चहण सिंह : श्री अडवाणी को मजबूरी के कारण बाहर जाना पड़ा, इसलिये मैं चाहता हूं उनकी स्टेटमेंट बाद में ले ली जाए।

श्री उपसभापति : इसको दो बजे ले लेंगे।

CLARIFICATION BY MINISTER WITH REGARD TO THE REPORT PUBLISHED IN THE 'STATESMAN' UNDER THE CAPTION THE RAJNARAIN INTERLUDE'

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री राजनारायण) : श्रीमन्।

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : चलिए आप नये रूप में तो आए।

श्री राजनारायण : भूपेश गुप्त जी ने मेरे संबध में बहुत गलत बातें कही हैं। मैं समझता था कि सदन में कुछ कहने के पूर्व यदि वह जानकारी प्राप्त कर लिये होते तो अच्छा था। सबसे अच्छे जज तो आप ही हैं क्योंकि उस अवसर पर आप मौजूद थे।

गृह मंत्री ((चौधरी चरण सिंह) : 'आप' से आप का क्या मतलब है ?

श्री राजनारायण : 'आप' शब्द सदन में बराबर चेयर के लिये कहा जाता है और सदस्यों के लिये सम्मानित सदस्य कहा जाता है।

मुझे आश्चर्य है कि यहां पर एक ऐसी हल्की और ओछी, नीचे दर्जे की बात कह दी गई कि मलिक से प्याला ले लिया गया। इंडोनेशिया हमारा फ्रैंडली कन्ट्री है, मलिक हमारे अच्छे दोस्त हैं। मैं उनको खूब अच्छी तरह से जानता हूं। पहली बात यह है कि जब केयरटेकर आया तो उसने हम से पूछा कि आप विदआउट शूगर लेंगे या शूगर के साथ ? मैंने कहा, हां, मैं बिना शूगर के लूंगा उसने बगैर शूगर वाली काफी बना दी। मैंने उससे कहा शूगर वाली काफी भी ले आओ मलिक साहब के लिये और वह शूगर वाली काफी भी ले आया। मैंने वह शूगर वाली काफी उनको दे दी और बिना शूगर वाली काफी खुद पी। यहां भूपेश गुप्त जी ने ऐसा रंग उलटा कि उन्होंने शीर्षासन किया और सिर कर दिया नीचे और पैर कर दिये ऊपर। अब सवाल यह है कि भूपेश गुप्त कोई मामूली आदमी नहीं हैं। भूपेश गुप्त अच्छे विद्वान हैं, पढ़े-लिखे हैं।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: (Punjab): Sir, on point of order Sir, the matter was raised in the House on the basis of a report that